**न्यायालय जिला कलक्टर, पाली**
**पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस**

प्रकरण संख्या :: 68 / 2025
जीसीएमएस नम्बर :: 2025 / 116

**अपीलाण्ट :–** **बनाम** **रेस्पोडेण्ट्स :–**

गौतमचन्द शर्मा पुत्र श्री रामचन्द्र शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी – 211, टैगोर नगर शिव मंदिर के पास पाली (राज.) पुलिस थाना कोतवाली पाली 306401

1. नवीन तिवारी पुत्र श्री गौतमचन्द शर्मा निवासी – 211, टैगोर नगर, शिव मंदिर के पास पाली (राज.) पुलिस थाना कोतवाली पाली 306401
2. मनीषा तिवारी पत्नी श्री नवीन तिवारी जाति ब्राह्मण निवासी – 211, टैगोर नगर, शिव मंदिर के पास पाली (राज.) पुलिस थाना कोतवाली पाली 306401

**अपील अंतर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007**

जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

**उपस्थिति :–** अपीलाण्ट स्वयं एवं उनके अधिवक्ता
रेस्पो. संख्या 01 व अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 02

**–:: निर्णय ::–**

**दिनांक :– 18.08.2025**

अपीलाण्ट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 तहत विरूद्ध उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पाली के प्रकरण संख्या 05 / 2025 बअनवान गौतमचन्द शर्मा बनाम नवीन तिवारी वगैरह में आदेश दिनांक 17.06.2025 को निरस्त कराने हेतु पेश किया गया है। अपीलाण्ट का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिए सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलाण्ट की ओर से अपीलाण्ट स्वयं एवं उनके अधिवक्ता श्री पवन सिंघल व रेस्पो. संख्या 01 स्वयं एवं रेस्पो. संख्या 02 की ओर से उनके अधिवक्ता श्री सूर्यप्रकाश शर्मा वक्त बहस न्यायालय में उपस्थित आये। वक्त बहस उभयपक्ष उपस्थित।

जिला कलेक्टर, पाली

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील–मीमो में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट पाली के समक्ष माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 4 एवं 23 के अन्तर्गत परिवाद इस आधार पर प्रस्तुत किया गया था कि टैगोर नगर पाली में उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य मकान नम्बर 211 स्थित हैं। जिसकी लीज डीड नगर परिषद द्वारा प्रार्थी के पक्ष में दिनांक ~~।।।।।~~ 31.03.2000 को निष्पादित कर पंजीयन करवायी गई थी। उक्त मकान प्रार्थी अपीलाण्ट के एकल स्वामित्व का है। जिसमें प्रार्थी के अतिरिक्त अन्य किसी का विधिक अधिकार व आधिपत्य नहीं है। अप्राथीगण प्रार्थी के पुत्र एवं पुत्रवधु हैं। अप्रार्थीगण के विवाह के पश्चात् प्रार्थी ने उन्हें अपने स्वामित्व मकान में रहने की अनुमति प्रदान की थी। इस प्रकार अप्रार्थीण उक्त मकान में प्रार्थी के लाईसेंसी की हैसियत से रहवास करते थे। विवाह के कुछ समय पश्चात् से ही अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थी एवं उसकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार व लड़ाई–झगड़ा शुरू कर दिया। उसके द्वारा प्रार्थी एवं उसकी पत्नी के साथ निरन्तर दुर्व्यवहार एवं मानसिक रूप से परेशान करने के कारण उनका अपने स्वयं के मकान में शांति से रहना मुश्किल हो गया हैं। घर में भारी तनाव व अशांति रहने के कारण एवं अलग रहने से ही प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण शांति से रह सकेगें। उस आशय से अपीलाण्ट प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को वर्ष 2011 में मकान के प्रथम मंजिल पर निर्माण कर अलग रहने की सुविधा

उपलब्ध करवायी। उसके बावजूद अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रार्थी एवं उसकी पत्नी के साथ व्यवहार अधिक उग्र हो गया। उसका अपनी भाषा पर कोई संयम नहीं था। उसके द्वारा प्रार्थी एवं उसकी पत्नी को परेशान करने की नियत से मकान में प्रथम मंजिल में रहते हुए आये दिन उपर से पानी गिराती, कचरा फेंकती, तेज आवाज में टीवी चलाकर एवं मोबाईल में तेज आवाज में गाने बजाकर, बर्तन वगैरह जोर से पटककर न्यूसेंस पैदा करती। प्रार्थी एवं उसकी पत्नी को द्वितीय मंजिल पर आने नहीं देती। प्रार्थी एवं उसकी पत्नी कही बाहर खडा रखती एवं परेशानी करती, समझाईश पर भी नहीं मानती। प्रार्थी एवं उसके परिवार वालों को गालिया देती, पुलिस व कोर्ट की धमकी देती। प्रार्थी एवं उसकी पत्नी को उसके द्वारा आये दिन झूठे आरोपों में फंसाने एवं आत्महत्या की धमकी देती। अप्रार्थी संख्या 2 से परेशान होकर प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दिनांक 12.03.2014 एवं 23.05.2014 को पुलिस थाना कोतवाली में एवं तत्पश्चात् अपीलार्थी की पत्नी पुष्पा शर्मा द्वारा दिनांक 01.11.2014 एवं 05.11.2014 को महिला पुलिस थाना में व पुलिस अधीक्षक पाली के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 के क्रूर व्यवहार लड़ाई झगडे व शारिरिक व मानसिक प्रताड़ना के कारण प्रार्थी एवं उसकी पत्नी का स्वास्थ्य व जीवन खतरे में होने से एवं अपने स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा हेतु अप्रार्थीगण को प्रार्थी के स्वअर्जित मकान से निष्कासित करने का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ अधिकरण में प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने जवाब में समस्त तथ्य स्वीकार किये हैं। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रत्यर्थी के प्रार्थना पत्र का जवाब यह प्रस्तुत किया हैं कि प्रार्थी, उसकी पत्नी एवं पुत्र उसको दहेज के लिए परेशान करते थे। अप्रार्थी संख्या 2 प्रार्थी से कोई हक हिस्सा नहीं मांग सके इसलिए मकान से बेदखल करने की मांग की गई हैं। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से मेल मिलावट कर अप्रार्थी संख्या 2 को उसके हक अधिकारों से वंचित करने की नियत से प्रस्तुत पत्र निरस्त करने हेतु निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् दिनांक 17.06.2025 को पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत गलत, निराधार एवं गैर कानूनी रूप से आदेश पारित किया गया जो निरस्त किये जाने योग्य हैं प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अपनी व अपनी पत्नी की सम्पत्ति व जीवन की सुरक्षा हेतु अप्रार्थीगण एवं उसके परिवार को प्रार्थी के स्वअर्जित मकान नम्बर 211 टेगोर नगर पाली से निष्कासित रकने का आदेश चाहा गया था किन्तु माननीय अधिकारण द्वारा इस राहत के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवेचन अपने आदेश में नही किया गया हैं। न ही उक्त राहत देने या नहीं देने पर कोई विचार किया गया हैं। इस कारण माननीय अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कोई विवेचन नहीं किया हैं। इस कारण जैर अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत गलत, गैर कानूनी व मनमाना होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। प्रार्थी की स्वअर्जित मकान में कौन रहवास कर सकता हैं, कौन रहवास नहीं कर सकता हैं यह प्रार्थी की स्वेच्छा पर निर्भर करता हैं। उसके अपने मकान में किसी को जबरदस्ती रखते हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता हैं। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी एवं उसकी पत्नी को अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा तंग एवं परेशान करने के संबंध में अंकित तथ्य समर्थन में अपीलाण्ट प्रार्थी स्वंय एवं उसकी पत्नी पुष्पा शर्मा के शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का समर्थन किया गया हैं। उक्त मकान में अप्रार्थीगण को कोई हक, हिस्सा व अधिकार नहीं होने से उनका इस मकान में रहने का कोई अधिकार नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण से किसी प्रकार की भरण पोषण की मांग नहीं की हैं, न ही उनके द्वारा यह तथ्य अंकित किये गये थे कि अप्राथीगण उन्हें अपने स्वयं के मकान से बेदखल करना चाहते हैं, न ही प्रार्थना पत्र में यह निवेदन किया गया था कि अप्रार्थीगण को प्रार्थी के मकान से बेदखल करने से रोका जाये। इसके बावजूद भी अधीनस्थ अधीकरण द्वारा बिना किसी आधार के मनमाने तौर पर बिना मांग के ही अप्रार्थी संख्या 01 के खिलाफ भरण पोषण की राशि रूपये 5000/– दिलाये जाने एवं अपीलाण्ट प्रार्थी को उसको पट्टा सुदा मकान कतई बेदखल नहीं करने का आदेश पारित किया गया हैं। इस प्रकार माननीय अधीनस्थ अधीकरण द्वारा प्रार्थी द्वारा मांगी गई राहत के विपरीत गलत, गैर कानूनी एवं मनमाना arbitrary एवं caprious आदेश पारित किया गया हैं। इसलिए जैर अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध होने से खारिज कर जैर अपील स्वीकार फरमावे।

जिला कलक्टर पाली

अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 02 ने अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट स्वयं सरकारी सेवा से सेवानिवृत कर्मचारी है एवं उसका ससुर भी है जिसके प्रतिमाह पेंशन आती है। रेस्पो. संख्या 02 जो कि अपीलाण्ट की पुत्रवधु है अपीलाण्ट की पूर्ण सार सम्भाल करती है एवं पूर्णतया सेवा सुश्रुषा करने को भी तैयार है। मेरे ससुराल वाले येनेकेन प्रकारेण मुझे घर से जबरदस्ती मेरी इच्छा के विरूद्ध घर से बेदखल करने पर आमादा है। अतः जैर अपील सारहीन होने से खारिज फरमावे।

श्रवणशुदा बहस व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णीत निर्णय दिनांक 17.06.2025 का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर प्रकरण में यह प्रकट आया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट द्वारा वांछित राहत पर कोई वर्णन नहीं किया है न ही अपीलाण्ट द्वारा वर्णित किन्हीं तथ्यों का विवेचन किया है, न ही अपीलाण्ट द्वारा वांछित राहत के संबंध में किन्हीं कानूनी प्रावधानों को देखा है बल्कि अपीलाण्ट को भरण–पोषण हेतु प्रतिमाह पांच हजार की राशि रेस्पोडेण्ट से को दिलवाये जाने का निर्णय किया है, जो कि अपीलाण्ट द्वारा मांग ही नहीं की गई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.06.2025 प्रथम–दृष्ट्या ही आधारहीन, तर्कहीन, औचित्यहीन अविधिक है जिससे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.06.2025 अपास्त योग्य है।

अब हम प्रकरण के तथ्यों पर विवेचन करना उचित समझते है। प्रकरण में मौलिक रूप से अपीलाण्ट द्वारा संबंधित कानून माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अपीलाण्ट द्वारा अपने पुत्र व पुत्रवधु को उनके साथ अमानवीय एवं क्रूरतापूर्वक व्यवहार करने के कारण पुत्र एवं पुत्रवधु अर्थात् रेस्पो. संख्या 01 व रेस्पो. संख्या 02 को उनके स्वयं के क्रयशुदा भूखण्ड/मकान से बेदखल करने की राहत चाही है। अपीलाण्ट द्वारा इस हेतु कई सारे तथ्य अधीनस्थ एवं अपीलीय न्यायालय में वर्णित किये है जिनका रेस्पो. संख्या 02 ने खंडन भी किया है। प्रकरण में यह सुस्थापित तथ्य है कि रेस्पोडेण्ट, अपीलाण्ट के पुत्र व पुत्रवधु है तथा व अपीलाण्ट की अनुज्ञा से अपीलाण्ट के स्वयं क्रयशुदा भूखण्ड/मकान में रह सकते है। अधिवक्ता रेस्पो. का बचाव में प्रमुख उज्र यह लिया गया है कि उसके द्वारा माननीय न्यायालय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पाली के समक्ष घरेलू हिंसा एवं उत्पीड़न का प्रकरण प्रस्तुत किया है। हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध माननीय न्यायालय न्यायालय की सत्यापित पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि रेस्पोडेण्ट द्वारा उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दर्ज होने की दिनांक 15.05.2025 के पश्चात दिनांक 08.07.2025 को प्रस्तुत किया गया है, जो अपने आपमें बेदखली की प्रतिरक्षा में किया जाना प्रतीत होता है। प्रकरण में यह भी स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेण्ट पुत्र एवं पुत्रवधु का विवाह दिनांक 02.12.2007 को हुआ है एवं अब लगभग 18 वर्षों के लम्बे अन्तराल पश्चात इस प्रकार का प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना विस्मयकारी है तथा माननीय न्यायालय द्वारा इस बाबत् कोई व्यादेश भी जारी नहीं है। चूंकि अधिकरण अर्थात अधीनस्थ न्यायालय एवं न्यायालय हाजा सिविल प्रकृति का कार्य करता है। भारतीय सांस्कृतिक परम्पराओं में भी कोई बुजुर्ग अपने पुत्र, पुत्रवधु, पौत्र एवं पौत्रियों को विवाह के लगभग 18 वर्षों बाद अपने घर से बेदखल करने की माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के विधिक प्रावधानों के तहत अनुज्ञा चाहता है, तथा उसके लिए वह न्यायालय आता है तो यह तो कदापि नहीं माना जा सकता कि पुत्र एवं पुत्रवधु द्वारा अपने बुजुर्ग सास–ससुर (माता–पिता) की उचित सार–सम्भाल, सेवा सुश्रुषा, सदाशयता एवं मानवीयता का व्यवहार किया हो। कोई भी बुजुर्ग अपने बुढ़ापे में अपने पुत्र एवं पुत्रवधु को अपने मकान से बेदखल करने के लिए तभी विवश होगा जबकि उसके साथ उसके पुत्र एवं पुत्रवधु द्वारा अत्यन्त कठोर व्यवहार किया जा रहा हो, क्योंकि कोई भी अकेला रहना उचित नहीं समझेगा। हस्तगत प्रकरण में जैर विवादित भवन का मालिक ससुर (अपीलाण्ट) है एवं उनकी पत्नी बीमार है तो इन परिस्थितियों में पुत्र एवं पुत्रवधु को सास–ससुर के मकान में जो कि उसके स्वयं का क्रयशुदा है, रखे जाने हेतु कोई विधिक अनुज्ञा दिया जाना उपादेय नहीं है। रेस्पो. संख्या 01 व रेस्पो. संख्या

जिला कलक्टर, पाली

02 अपीलाण्ट के पुत्र एवं पुत्रवधु होने के नाते वे अपने माता–पिता/सास–ससुर का उचित सार–सम्भाल नहीं कर अनुचित व्यवहार करने के उपरान्त बलात्, उनके मकान में रहे, यह पूर्णतया अन्याय होगा। जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय ने अपने न्यायिक सिद्धान्तों में निम्नानुसार प्रतिपादित किया है :–

1. **AIR 2022 Rajasthan 99** :- Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act (56 of 2007), S.4, S.23, S.32 – Government of Rajasthan Maintenance of Parents and Senior Citizens Rules (2010), R.21 – Order of eviction – Protection of life and property of senior citizen – Son directed to vacate premises – Mother abused physically, mentally and socially by her son and daughter-in-law and deprived from living peacefully in her own house – Mother does not need any maintenance from her son, she is financially independent and has property in her name – Right of mother to live with dignity under art. 21 violated by acts of son – Being owner of disputed property and as per mandate of her husband's will, she has first right to live in disputed property in way she desires – Son along with his family directed to honor order of eviction. Constitution of India, Art. 21

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलक्टर, पाली

2. **AIR 2018 BOMBAY 229 :-** Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act (56 of 2007), S.4 – Harassment to senior citizens – Tenement exclusively owned by mother – Son, daughter-in-law and grand children beating, abusing and harassing mother – Order of eviction of son and his family, proper – No child can compel his parents to allow him and his family to stay with them.

3. **AIR Online 2024 UTR 478 :-** Refusal to order eviction frustrated purpose of Act – Order of Tribunal was modified and eviction was ordered.

4. **AIR 2020 MADHYA PRADESH 51 :-** Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act (56 of 2007), S.22, S.32 – Madhya Pradesh Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizen Rules (2009), R.19, R.20 – Protection of property of senior citizen – Eviction from property – Father-in-law claiming that ex-daughter-in-law and grandsons mentally tortured, haressed and assaulted

him and threatened him with registration of false cases against him – Ex-daughter-in-law and grandson have no legal right to live in self acquired house of father-in-law – They are creating nuisance for father-in-law – He is not obliged to suffer their presence in his house – Order of eviction under Act, proper – Father-in-law cannot be dragged to file civil suit or eviction.

5. **2019 (2) DNJ (Raj.) 614 :-** Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act 2007 – Secs. 2(b)(j), 4, 5, 6 – Tribunal has power and jurisdiction to make order of eviction – Act has overriding effect – Contention is not acceptable that the petitioner cannot be evicted from the house though it was self acquired property of respondent Nos. 1 and 2 – Held, Order is not without jurisdiction and upheld.

उपरोक्त विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सभी न्यायिक नजीरों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है किया गया है कि 'Son and daughter-in-law cannot claim any right over the self acquired property of father and mother' अर्थात् किसी व्यक्ति के स्वयं के क्रयशुदा भूखण्ड अथवा मकान में उसके पुत्र एवं पुत्रवुध को औचित्यपूर्ण व्यवहार नहीं होने पर विधिक प्रावधानों के तहत बेदखल किया जाना न्यायोचित है।

लिहाजा हमारे द्वारा किये गये उपरोक्त प्रेक्षणों के दृष्टिगत हम अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट पाली द्वारा अपने न्यायालय के प्रकरण संख्या 05/2025 बअनवान गौतमचन्द शर्मा बनाम नवीन तिवारी वगैरह में पारित आदेश दिनांक 17.06.2025 को अपास्त करते हुए अपील–अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाण्ट के पुत्र एवं पुत्रवधु अर्थात् रेस्पो. संख्या 01 व रेस्पो. संख्या 02 को अपीलाण्ट के स्वयं के क्रयशुदा मकान संख्या 211 टैगोर नगर पाली से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है। रेस्पो. संख्या 01 व रेस्पो. संख्या 02 को निर्देशित किया जाता है कि वे एक माह में अपीलाण्ट के स्वयं के क्रयशुदा मकान संख्या 211 टैगोर नगर पाली को खाली कर कब्जा अपीलाण्ट को सुपुर्द करे। निर्णय दिनांक से एक माह की अवधि में रेस्पो. संख्या 01 व रेस्पो. संख्या 02 द्वारा अपीलाण्ट को उक्त मकान का कब्जा सुपुर्द नहीं किये जाने की स्थिति में थानाधिकारी, कोतवाली पाली जैर विवादित मकान अथवा भवन का विधिपूर्वक कब्जा खाली करवाकर अपीलाण्ट को उसके क्रयशुदा भवन/मकान संख्या 211 टैगोर नगर, पाली का कब्जा सुपुर्द करावे। निर्णय की सत्यप्रति उभयपक्ष व थानाधिकारी, कोतवाली जिला पाली को पालनार्थ भिजवाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक **18.08.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली